न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 46 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024 / 126

वादी	बनाम	प्रतिवादी
गलाराम पुत्र जगाराम जाति भील निवासी कुड़ी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा		1.बीजाराम पुत्र खेताराम जाति भील निवासी हेमपुरा तहसील पचपदरा 2.ओमप्रकाश पुत्र मेलाराम जाति भील निवासी मण्डापुरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री करणसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी

2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक— 20.8.2025

संक्षिप्त में वाद—पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि सरहद मौजा हेमपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1924 / 337 क्षेत्रफल 0.8984 हैक्टयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 08.7.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा हेमपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1924 / 337 क्षेत्रफल 0.8984 हैक्टयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	लगान	बचिन्ह
1	गलाराम पुत्र जगाराम हि.पूर्ण जाति भील सा.कुड़ी खातेदार	हेमपुरा	1924/337	0.4492	0.86	लाल
2	ओमप्रकाश पुत्र मेलाराम हि.2/3 जाति भील सा.मंडापुरा खातेदार बीजाराम पुत्र खेताराम हि.1/3 जाति भील सा.देह खातेदार	हेमपुरा	1924/337	0.4492	0.86	हरा

तहसीलदार,पचपदरा को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामान्तकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे,राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

20/08/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 20.8.2025 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।

20/08/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 46 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 126

वादी बनाम प्रतिवादीगण

गलाराम पुत्र जगाराम
जाति भील निवासी कुड़ी
तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

1.बीजाराम पुत्र खेताराम
जाति भील निवासी हेमपुरा तहसील पचपदरा
2.ओमप्रकाश पुत्र मेलाराम
जाति भील निवासी मण्डापुरा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद बाबतः–53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बरः–46 / 2024

निर्णय दिनांक :–20.8.2025

वादी की ओर से श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी एकतरफा इस वाद में आज तारीख 20.8.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 20.8.2025 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिए जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20.8.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया ————	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ————
जोड़	———	जोड़	————

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा
20/08/25